डॉ0शिवानन्द नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग (चमोली)–246444

Dr.Shivanand Nautiyal Government Post Graduate College Karanprayag(Chamoli) -246444

प्रवेश विवरणिका (Prospects) 2022–23

Website : www.gpgckaranprayag.com
Email : gdc.kpg1979@gmail.com

शैक्षणिक सत्र 2022–23

स्नातक प्रथम वर्ष /सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरने की तिथि	02 जुलाई 2022 से 20 जुलाई 2022
शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि शैक्षिक सत्र आरम्भ की तिथि	31जुलाई 2022 01 अगस्त 2022
बी0ए0 / बी0एससी0 / बी0कॉम द्वितीय / तृतीय वर्ष तथा एम0ए0 / एम0एससी0 / एम0कॉम0 प्रथम / द्वितीय वर्ष(प्रथम / तृतीय सेमेस्टर) कक्षाओं में ऑनलाइनप्रवेश लेने की तिथियां– 1. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 2. प्रवेश शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 3. शिक्षण कार्य प्रारम्भ तिथि	परीक्षा के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि से दस दिनों के अन्तर्गत। प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने के तीन दिन के अर्न्तगत प्रवेश उपरान्त
संस्थागत मुख्य परीक्षा वार्षिक / सेमेस्टर पाठ्यक्रम 1. वार्षिक / सम–विषम सेमेस्टरऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि 2. विलम्ब शुल्क सहित परीक्षा आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 3. परीक्षा तिथि 4. महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी) जमा करने की अंतिम तिथि 5. परीक्षा आवेदन महाविद्यालय से विश्वविद्यालय को प्रेषण की तिथि	(क्रमांक 01 से 6 तक) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार
प्रायोगिक / मौखिक परीक्षा 1. वार्षिक / सम–विषम सेमेस्टर प्रायोगिक / मौखिकी परीक्षा तिथि	(क्रमांक 01 से 3 तक) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार

डॉ0शिवानन्द नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग (चमोली)–246444

Dr.Shivanand Nautiyal Government Post Graduate College Karanprayag(Chamoli) -246444

संक्षिप्त परिचय
(Brief Introduction)

उत्तराखण्ड के सीमान्त जिला चमोली के अन्तर्गत अलकनन्दा एवं पिण्डर नदियों के संगम पर स्थित इस महाविद्यालय की स्थापना कर्णप्रयाग एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के युवाओं की उच्च शिक्षाकी आकांक्षा एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 20 नवम्बर 1979 को की गयी । स्नातक स्तर पर कला संकाय एव़ं वाण्ज्यि संकाय के विषयों के शिक्षण के साथ प्रारम्भ इस महाविद्यालय में उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2003 में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों के शिक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई। 8 मई 2015 को उत्तराखण्ड शासन द्वारा राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग को उच्चीकृत कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय की मान्यता प्रदान कर दी गई। वर्तमान में कला संकाय के 07 विषयों, विज्ञान संकाय के 05 विषयों तथा वाणिज्य संकाय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण कार्य संचालित किया जा रहा है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा महाविद्यालय में अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसमें अनेक व्यवसायिक एवं गैर–व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्स के अध्ययन की सुविधा प्राप्त है। किसी भी कारण से नियमित संस्थागत प्रवेश के माध्यम से अध्ययन से बंचित युवाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण माध्यम है। राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग नाम से स्थापित इस महाविद्यालय के नाम में 25 सितम्बर 2014 को उत्तराखण्ड शासन द्वारा परिवर्तन किया गया। इस क्षेत्र के जाने–माने विद्वान, कर्मठ जनप्रतिनिधि डा0 शिवानन्द नौटियाल के नाम पर **"डॉ0 शिवानन्द नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग (चमोली)**" नाम से यह महाविद्यालय संचालित हो रहा है।

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल से सम्बद्ध इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के सेक्सन 2(f)तथा 12(B) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

महाविद्यालय के स्वामित्व में कर्णप्रयाग–पोखरी मोटर मार्ग के समीप स्थित देवतोली तथा सेमी–ग्वाड़ में 29570 वर्गमीटर भूमि दर्ज है। महाविद्यालय में कला, विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षण कार्य किया जाता है, परन्तु अद्यतन विज्ञान एवं कला संकाय के स्नातक स्तर तक शिक्षण हेतु भवन निर्मत है। वाणिज्य संकाय भवन तथा कला एवं विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन हेतु शिक्षण कक्षों के निर्माण की नितान्त आवश्यकता है। महाविद्यालय के लिए न्यूनतम रूप से आवश्यक शिक्षण कक्षाओं के निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। महाविद्यालय के सुचारू

संचालन के लिए प्राचार्य के अतिरिक्त विभिन्न विषयों में असिस्टेन्ट प्रोफेसरों के 43 पद तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 31 पद शासन द्वारा सृजित किये जा गये हैं। शिक्षण कार्यके साथ–साथ विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु क्रीड़ा, एन.सी.सी. एन.एस. एस., विभागीय परिषद, सांस्कृतिक परिषद आदि द्वारा शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। समस्त महाविद्यालय स्टॉफ विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श एवं अनुकूल शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने हेतु कटिवद्ध है।महाविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाइन (Online Process) प्रक्रिया द्वारा किये जाते हैं। महाविद्यालय की वैबसाइट www.gpgckaranprayag.com में ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र उपलब्ध हैं। प्रवेशार्थियों को उसमें दिये गये निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भर कर (Submit) जमा करना अनिवार्य है। प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट महाविद्यालय की वेबसाइट में दी जायेगी।

महाविद्यालय के विषय एवं उपलब्ध सीट का विवरण

क्र. सं.	संकाय	पाठ्यक्रम	अवधि	अनिवार्य विषय	अध्ययन विषय	सीट	अभ्युक्ति
1.	कला संकाय	बी0ए0 I	3 वर्ष	पर्यावरण अध्ययन	1. हिन्दी	220	बी0ए0 में तीन विषयों का चयन कर सकते हैं। भूगोल के लिए इण्टरमीडियट में भूगोल या विज्ञान विषय होना अनिवार्य है।
					2. अंग्रेजी	160	
					3. संस्कृत	160	
					4. अर्थशास्त्र	220	
					5. इतिहास	160	
					6. भूगोल	160	
					7. राजनीतिशास्त्र	220	
		एम0ए0 I	चार सेमेस्टर		1. हिन्दी	40	
					2. अर्थशास्त्र	40	
					3. अंग्रेजी	25	
					4. राजनीति शास्त्र	25	
					5. भूगोल	25	
					6. संस्कृत	25	
					7. इतिहास	25	
2	विज्ञान संकाय	बी0एससी0 I	3 वर्ष	पर्यावरण अध्ययन	**Bio Group** 1. जन्तु विज्ञान 2. वनस्पति विज्ञान 3. रसायन विज्ञान	160 160 160	
					Maths Group 1. भौतिक विज्ञान 2. गणित 3. रसायन विज्ञान	160 160 160	
		एम0एससी0 I	चार सेमेस्टर		1. जन्तु विज्ञान	20	
					2. वनस्पति विज्ञान	20	
					3. भौतिक विज्ञान	20	
					4. रसायन विज्ञान	20	
					5. गणित	30	
3	वाणिज्य संकाय	बी0काम0 I	3 वर्ष	पर्यावरण अध्ययन	1. वाणिज्यसमस्त ग्रुप	160	
		एम0काम0I	चार सेमेस्टर		1. वाणिज्य	25	

नोट–1.. प्रत्येक वर्ष के सभी विषयों में स्थान विश्वविद्यालय/शासन के निर्णय के अनुसार परिवर्तित किये जायेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० (NEP 2020) के अन्तर्गत महाविद्यालय के विषय एवं उपलब्ध सीट का विवरण

क्र. सं.	संकाय	पाठ्यक्रम	अवधि	अध्ययन विषय	सीट	माइनर विषय
1.	कला संकाय	बी0ए0 Ist Semester	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	1. हिन्दी	220	हिन्दी भाषाः व्याकरण
				2. अंग्रेजी	160	Creative writing
				3. संस्कृत	160	संस्कृत भाषा अध्ययन अथवा संस्कृत सम्भाषण
				4. अर्थशास्त्र	220	Fundamental of Economics
				5. इतिहास	160	Folk culture and tribal history of Uttarkhand
				6. भूगोल	160	Applied Geomorphology
				7. राजनीतिशास्त्र	220	Awarness with Civil rights
2	विज्ञान संकाय	बी0एससी0 Ist Semester	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	**Bio Group** 4. जन्तु विज्ञान 5. वनस्पति विज्ञान 6. रसायन विज्ञान	 160 160 160	**(Zoology)** Enviornmental Science and Basic consepts of Ecology
				Maths Group 1. भौतिक विज्ञान 2. गणित 3. रसायन विज्ञान	 160 160 160	**(Physics)** Basic Electricity & Magnetism
3	वाणिज्य संकाय	बी0काम0 Ist Semester	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	1. वाणिज्यसमस्त ग्रुप	160	1- Enventory Management 2- Rural Marketing

प्रवेशार्थियों के आवश्यक निर्देश
(Important Instruction for Admission)

1. सभी कक्षाओं में प्रवेश ऑनलाइन मोड में होंगे।
2. प्रवेशार्थी को आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपना ई–मेल तथा मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।
3. आवेदन पत्र महाविद्यालय की बेवसाइटः www.gpgckaranprayag.comपर उपलब्ध है।
4. प्रवेश हेतु समस्त शैक्षिक मूल प्रमाण–पत्रों को स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।
5. वरीयता क्रम में आने वाले प्रवेशार्थी को प्रवेश के समय ऑनलाईन प्रवेश आवेदन पत्र समस्त अपलोड किये गये मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रति एवं टी0सी0 तथा सी0सी0 की मूल प्रतियों सहित महाविद्यालय खुलने पर प्रवेश समिति के पास जमा करनी होगी।
6. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का नवीनतम व स्व–हस्ताक्षरित रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर अपलोड करना अनिवार्य है।
7. यथा समय प्रवेश हेतु वरीयता सूची महाविद्यालय की बेवसाइट पर उपलब्ध होगी।
8. वरीयता क्रम में आने वाले प्रवेशार्थी दिनांक 31–07–2022 तक प्रवेश शुल्क....जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा न करने की दशा में प्रवेश का दावा स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। उपरोक्त तिथि के पश्चात प्रतीक्षा सूची के वरीयताक्रम के आधार पर प्रवेश देय होगा।

प्रवेश नियम सत्र 2022–23

(Admission Rules)

1. स्नातक प्रथम वर्ष कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट परीक्षा में 40 प्रतिशत प्राप्तांक निर्धारित किये गये हैं।
2. स्नातक प्रथम वर्ष विज्ञान संकाय में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट परीक्षा में 45 प्रतिशत प्राप्तांक निर्धारित किये गये हैं।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता में नियमानुसार 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
4. प्रत्येक विषय में विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीटों पर ही प्रवेश अनुमन्य होंगे।
5. प्रत्येक विषयों के लिए निर्धारित सीटों में अनुसूचित जाति (19 %), अनुसूचित जनजाति (4%), अन्य पिछडा वर्ग (14%), आरक्षण का लाभ उत्तरखण्ड के शासनादेश संख्या–1144/कार्मिक–2–2001–53 (1)/2001 के अनुसार देय होगा। यह लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों के लिए ही देय होगा। उक्त सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।नियमानुसार ई0डब्लू0एस0 के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 10% सीट पर आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
6. विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातक स्तर पर06 वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 04 वर्ष का संस्थागत अध्ययन–काल अनुमन्य होगा।
7. अनुर्तीण छात्र/छात्राओं को पुनः उसी संकाय /कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
8. जिन छात्र/छात्राओं को अपराध के लिए मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो उन्हें किसी भी कक्षा में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।
9. कश्मीर से विस्थापित प्रवेशार्थीयों को प्रत्येक विषय में नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा। बशर्ते वे सभी अर्हतायें पूर्ण करते हों।
10. उत्तराखण्ड प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीण करने के पश्चात् दो वर्ष से अधिक अवधि का अन्तराल होने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हताः–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (विज्ञान संकाय) में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त वि0वि0 से स्नातक परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीण की हो।
2. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (कला एवं वाणिज्य संकाय) में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त वि0वि0 से स्नातक परीक्षा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीण की हो।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवेशार्थियों को नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु योग्यता सूचकांकः–

(अ) $(x/X+y/Y) \times 100$

x =प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के सैद्धान्तिक(Theory)के प्राप्तांकों का योग।

X =प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के सैद्धान्तिक(Theory)के पूर्णांक का योग।

y = प्रवेश हेतु चयनित विषयों में स्नातक के प्राप्तांकों का योग।

Y= प्रवेश हेतु में स्नातक के प्राप्तांकों का योग।

प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यताधारक अभ्यर्थियों को वरीयताक्रम के निर्धारण में निम्नानुसार अधिमान अंक देय होंगे।

1. महाविद्यालय से संस्थागत स्नातक उत्तीर्ण प्रवेशार्थी – 05 अंक
2. अन्तर वि0वि0 तथा राज्य स्तर पर आयोजित खेल–कूद प्रतियोगिताओं में वि0वि0 का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रवेशार्थी – 05 अंक
3. राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर – 07 अंक
4. वि0वि0स्तर पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर – 02 अंक
5. एन0सी0सी0 ''बी प्रमाण–पत्र''– 02 अंक,
6. एन0सी0सी0 ''सी0'' प्रमाण–पत्र–03 अंक,
7. गणतन्त्र दिवस परेड – 05 अंक **(क्रमांक 05 से 07 तक अधिकतम 05 अंक देय होंगे)।**
8. एन0एस0एस0 ''ए''तथा ''बी'' प्रमाण–पत्र या 240 घण्टे+दो विशेष शिविरों के लिए 02 अंक निर्धारित हैं।
9. एन0एस0एस0 ''सी'' प्रमाण–पत्र –03 अंक
10. राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतन्त्र दिवस परेड में प्रतिभाग करने पर –05 अंक**(क्रमांक 08 से 10 तक अधिकतम 05 अंक देय होंगे)।**
11. रेंजर्स तथा रोबर्स के लिए – 05 अंक
12. सेना में कार्यरत सैनिक/अर्धसैनिक बलों के आश्रित– 02 अंक

नोटः–उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत अधिकतम 15 अंक देय होंगे। उक्त अधिमान अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

आचार संहिता
समस्त छात्रों पर लागू होने वाली आचार संहिता निम्नवत् है

छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार पर अंकुश–छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दो या अधिक छात्रों अथवा व्यक्तियों के समूह में कृत निम्नलिखित गतिविधियां अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार समझा जायेगा।

1. विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संस्थान अथवा ऐसे संस्थान की किसी इकाई में किसी शिक्षक, कार्यकारी किसी अभिकरण इकाई अथवा अन्य निकाय के सदस्य, शिक्षणेत्तर कर्मचारी अथवा ऐसे किसी संस्थान अथवा इकाई के छात्र, अथवा आधिकारिक नियन्त्रण पर अथवा किसी प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्य हेतु परिसर में किसी आगन्तुक पर शारीरिक प्रहार, शारीरिक बल प्रयोग की धमकी अथवा कोई अन्य धमकाने वाला व्यवहार।
2. किसी भी रूप में विश्वविद्यालय तंत्र के किसी संस्थान अथवा संस्थान की इकाई में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक कार्यो, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं के कार्यकलापों, प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक कार्यो में किसी भी प्रकार से बाधा पहुँचाना।
3. विशेष निर्णय जिन पर विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में नियन्ता अथवा अन्य संस्थानों के सन्दर्भ में सम्बन्धित संस्थान में अनुशासन निर्वहन हेतु उत्तरदायी अधिकारी की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय एवं किसी भी संस्थान के परिसर में लाउडस्पीकरों अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।
4. विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान, अथवा एक से अधिक संस्थानों या किसी संस्थान की इकाई द्वारा अपने परिसर में या अन्य आयोजित किसी शैक्षिक परिभ्रमण अथवा शिक्षण, शिक्षणेत्तर अथवा साहित्यिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य समकक्ष कार्यक्रम में अनुचित व्यवहार।
5. उपखण्ड 4 में उल्लिखित किसी कार्यक्रम के रैफरियों, एम्पायरों या निर्णायकों के निर्णय का अनुपालन न करना अथवा विरोध करना।
6. विश्वविद्यालय की व्यवस्था के किसी संस्थान या ऐसे संस्थान की इकाई अथवा ऐसे संस्थान व इकाई से सम्बन्धित किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले कृत्य व वक्तव्य अथवा किसी साहित्य या दस्तावेज जिनमें पत्रावलियां, पंपलेट, पोस्टर, प्रेस अधिसूचनायें आदि सम्मिलित है का प्रदर्शन एवं वितरण।
7. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थो का रखना एवं वितरण।
8. ऐसा कोई कृत्य जो व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह मध्य के मनमुटाव अथवा धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय अथवा भाषायी आधार पर असहिष्णुता उत्पन्न करता हो अथवा उसका कारण बन सकता हो।
9. कोई कृत्य जो विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों अथवा उपनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों की अवहेलना करता हो।
10. किसी सशस्त्र के रखने प्रदर्शन करने अथवा उससे धमकाने।
11. कोई कृत्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता हो अथवा शारीरिक हिंसा करता हो अथवा अभद्र भाषा प्रयोग हो।
12. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 की अवहेलना।
13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छात्रों की प्रतिष्ठा अथवा सम्मान की कोई अवहेलना।
14. महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार युक्त अथवा यौन उत्पीड़न का भान कराने वाला कोई मौखिक अथवा अन्य कृत्य या व्यवहार।
15. मिथ्या कथन अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।
16. विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी किसी इकाई के नाम के किसी कार्यक्रम की योजना अथवा किसी संचार या प्रतिवेदन में अनाधिकृत प्रयोग अथवा सम्बन्धित संस्थान अथवा इकाई द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत उद्देश्यों से भिन्न मन्तव्यों हेतु प्रयोग।
17. किसी भी रूप में रिश्वत् देने का कोई प्रयास अथवा कोई अन्य भ्रष्ट आचरण।

18. कोई ऐसा कृत्य जो विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाता हो अथवा उसे नष्ट करता हो अथवा उसके मूल रूप को भ्रष्ट करता हों।
19. कोई कृत्य जो निषिद्ध भवनों अथवा क्षेत्रों में अनाधिकृत उपस्थिति अथवा प्रवेश या उल्लंघन सदृश्य हो तथा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई के भवनों पर कब्जा।
20. ऐसा कोई कृत्य जो विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई के कार्यकलापों में किसी वाह्य व्यक्ति अथवा संस्था या प्राधिकारी के हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करता हो अथवा उसका आशय रखता हों।
21. अनाधिकृत कोश संग्रह।
22. मदिरा अथवा अन्य मादक द्रव्य रखने, वितरित करने अथवा सेवन करने या सेवन करने के उपरान्त विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी किसी इकाई में प्रविष्ट होना।
23. नैतिक अधमता सदृश्य कोई कृत्य।
24. कोई अन्य कृत्य जो विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी इकाई के अधिकारियों अथवा कार्य करने के अभिमत में एक छात्र के रूप में अनुचित हों।
25. खण्ड–2 में पारिभाषित रैगिंग करने सम्बन्धी अथवा उस में लिप्त होने सम्बन्धी कोई कृत्य।
26. छात्रों को परिसर में मोबाईल फोन अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक यंत्र पर संगीत सुनना अथवा कोई दृश्य सामाग्री देखना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।

रैगिंग कानूनन अपराध
(Ragging : A Legal Offence)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार रैगिंग एक कानून अपराध है । रैगिंग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है। रैगिंग में संलिप्त पाये जाने पर दण्डात्मक/ विधिक कार्यवाही की जायेगी।

रैगिंग से सम्बन्धित अभिप्राय है,

Any disorderly conduct whether by words spoken of written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student, including in rawdy or undisciplined acticvites which causes or is likely to cause embarrassment, hardship or psychological harm or to raise fear of apprehension thereofin a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such students will not in the ordinary course do or perform and which has the effect of causing or generating a sense of shame or so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student. Any of the above acts committed by any student of the same or junior or senior class shall br deemed to be ragging.

- रैगिंग से सम्बन्धितशिकायतों के निस्तारण एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु महाविद्यालय में एन्टी रैगिंग समिति तथा एन्टी रैगिंग स्क्वाड का गठन किया गया है।

- दण्ड

  संस्था की रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गये व्यक्तियों को दिये दण्ड निम्न में कोई एक अथवा उसका समूह हो सकता है,

  - प्रवेश निरस्त किया जाना।
  - कक्षा से निलम्बन।
  - छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।

- किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
- परीक्षा परिणाम रोकना।
- किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
- निरस्तीकरण।
- संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरानत अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना।
- रू0 25 हजार का जुर्माना।
- जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाय तब सम्भावित रैगिंगकर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

परिचय पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र

1. प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को महाविद्यालय द्वारा परिचय–पत्र निर्गत किया जायेगा। विना परिचय–पत्र के महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित होगा।परिचय पत्र खो जाने की सूचना मुख्य शास्ता को देनी होगी तथा प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुये निर्धारित शुल्क जमा करवाकर परिचय पत्र की द्वितीय प्रति मुख्य शास्ता से प्राप्त करनी होगी।
2. शास्तामण्डल अथवा किसी भी प्राध्यापक / कर्मचारी द्वारा मांगे जाने पर परिचय पत्र दिखाना होगा।

महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु विशेष प्राविधानः

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं तदोपरान्त जारी शासन व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह प्रकोष्ठ जिसमें प्रमुख रूप से महिला सदस्य सम्मिलित हैं, परिसर में महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना का संज्ञान लेता है। प्रकोष्ठ महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष व्याख्यान भी आयोजित करता है। यह प्रकोष्ठ महाविद्यालय द्वारा महिला छात्राओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का पर्यवेक्षण भी करता है ।

शुल्क विवरण(Fee Details)

वार्षिक शुल्क

प्रवेशार्थी को पूरे सत्र का शुल्क प्रवेश के समय देय होगा। शासनादेश सं0 1734/15/80 (11) –12/80 दिनांक 06.05.81 के अर्न्तगत शुल्क का विवरण निम्नवत है।

1. **राजकोष शुल्कः–**

क्र0सं0	विवरण	शुल्क दर	वार्षिक		अभ्युक्ति
			स्नातक	स्नातकोत्तर	
1	शिक्षण शुल्क	रू0 15 प्रति माह	उत्तराखण्ड शासनादेश के आधार पर सभी वर्ग के छात्र/ छात्राओं को समान स्तर पर छूट दी है।	रू0 180.00	(केवल सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राऐं)
2	प्रवेश शुल्क	6	6	6	
3	महंगाई शुल्क	रू0 20 प्रति माह	240	240	
4	पुस्तकालय शुल्क	3	3	10	
5	विकास शुल्क	20	20	20	
6	पंखा शुल्क	5	5	5	
7	प्रयोगशाला शुल्क	20 प्रति माह	240	240	(केवल प्रयोगात्मक विषय के छात्रों हेतु)
8	टी0सी0 शुल्क	5	5	5	केवल प्रथम बार प्रवेश पर

2. विश्वविद्यालय शुल्कः–

1. नामांकन शुल्क –केवल नये प्रवेशार्थियों से विश्वविद्यालय नियमानुसार।
2. विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क– वि0वि0 नियमानुसार देय होगा।
3. डिग्री शुल्क– स्नातक तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए–वि0वि0 नियमानुसार देय होगा।

3. छात्र निधिः– (महाविद्यालय वार्षिक शुल्क)

क्र0 सं0	विवरण	शुल्क	अभ्युक्ति
1	क्रीड़ा	120	
2	पत्रिका	50	
3	परिषद	50	
4	वाचनालय	30	
5	परिचय पत्र	25	
6	निर्धन छात्र	10	
7	विद्युत व्यय	100	
8	सांस्कृतिक परिषद	50	
9	छात्र संघ	50	
10	महाविद्यालय प्रांगण विकास	50	
11	कैरियर काउन्सलिंग	30	

12	जेनरेटर	50	
13	कम्प्यूटर इन्टरनेट	70	
14	प्रयोगात्मक सामग्री	60	
15	पार्किंग	30	
16	विविध	100	
17	प्रसाधन	50	
18	महाविद्यालय दिवस	20	
19	पंजीकरण शुल्क	60	

छात्रवृत्ति

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित छात्रवृत्तियां एवं अनुदान प्राप्त हो सकते हैं । छात्रवृत्ति पाने वाले अभ्यर्थी की उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत प्रति माह होनी आवश्यक है। विद्यार्थी निर्धारित विवरणानुसार महाविद्यालय में समय–समय पर प्रचलित सूचनाओं के आधार पर छात्रवृत्तियां एवं अनुदानों को प्राप्त करने के लिए यथा समय आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन करें। संबधित विश्वविद्यालय के माध्यम से सामाजिक संगठनों द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है जिस संबध में महाविद्यालय कार्यालय से सूचना प्राप्त की जा सकती है। छात्रवृत्तियां जो वर्तमान समय में सरकार द्वारा चलायी जा रही है, उसका विवरण यहॉं प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/विकलांग छात्रवृत्ति, उत्तराखण्ड सरकार।
2. अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय, भारत सरकार की छात्रवृत्तियां
3. निर्धन/कम आय छात्रवृत्ति
4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छात्रवृत्ति
5. उत्तराखण्ड प्रदेश छात्र कल्याण निधि से वित्तीय राहत
6. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

निर्धन छात्र सहायता कोष
(Poor Boys Fund)

ऐसे निर्धन एवं मेधावी छात्र जिन्हें किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता या शुल्क सहायता न मिल पायी हो वे संयोजक, छात्र कल्याण परिषद् के पास आवेदन–पत्र जमा कर नियमानुसार कोष से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

उपस्थिति नियम
(Rules for Attendance)

शासनादेश संख्या–528 (1)15(उ0शि0)71/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनमुति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता है निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में 6 प्रतिशत तक की छूट प्राचार्य द्वारा तथा 9 प्रतिशत की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1.(अ) विद्यार्थी की लम्बी और गंभीर बीमारी के बाद कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण–पत्र दाखिल कर दिया हो।

(ब) किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित साक्ष्य देने पर।

2.विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद–सांस्कृतिक समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिये साक्षात्कार निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनतम में मार्जन कर दिया जायेगा। बशर्ते कि संबंधित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाता है।

नोट–प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी के लिऐ शैक्षणिक सत्र 2022–23 में प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है। उपस्थिति कम होने पर विद्यार्थी कम होने पर विद्यार्थी को न केवल विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जायेगा बल्कि एन0सी0सी0, राष्ट्रीय सेवा योजना में प्रतिभाग करने से भी वंचित कर दिया जायेगा तथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन संस्तुत नहीं किये जायेंगे। साथ ही क्रीड़ा–सांस्कृतिक गतिविधियों में भी प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे। कम उपस्थिति रहने पर अभिभावकों को भी सूचित कर दिया जायेगा। बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम/एम0ए0/एम0एससी0/एम0कॉम पाठ्यक्रमों में उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से गिनी जायेगी।

पुस्तकालय (Library)

महाविद्यालय पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांयकाल 05 बजे तक खुला रहता है, छात्रों को 11 बजे से 4.00 बजे सायंकाल तक पुस्तक मिलती है। पुस्तक प्राप्त करने के लिए निर्धारित मांग पत्र भरकर पुस्तकालयाध्यक्ष को दे देना चाहिए। इसके लिए छात्र को अपना पुस्तकालय पत्र और परिचय पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना पुस्तकें नहीं मिलेगी। छात्रों को पुस्तकालय पत्र पर एक समय में कुल मिलाकर 2 ही पुस्तकें मिलेगी। पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा मांगे जाने पर छात्र को निर्गत पुस्तक लौटानी होगी। पुस्तकों को सुरक्षित दशा में रखने की जिम्मेदारी छात्र की होगी। यदि पुस्तक फट जाये, गंदी हो जाय या किसी भाँति नष्ट हो जाय तब छात्र को उसके बदले नई पुस्तक लौटानी होगी अथवा डेढ़ गुना मूल्य जमा करना होगा। सुरक्षित या संदर्भ पुस्तकें अध्ययन कक्ष में पढ़ी जा सकेंगी। सभी पुस्तकों को परीक्षा आरम्भ होने से पहले लौटाना होगा।

निर्देश : पुस्तकालय की समस्त पुस्तक अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व लौटानी होगी अथवा पुस्तकों का डेढ़ गुना मूल्य जमा करना होगा।

वाचनालय (रीडिंग रूम)(Reading Room)

छात्रों के लिए दैनिक पत्र एवं पत्रिकाएं पढ़ने व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र–पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। वाचनालय में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पुस्तकें, पत्रिकायें उपलब्ध हैं।

छात्र–छात्राओं के लिये सदैव समाचार–पत्र, मासिक पत्रिकायें पढ़ने व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिये महाविद्यालय में वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र–पत्रिकाऐं आदि को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अतिरिक्त पुस्तक एवं पत्रिकाओं आदिको क्रय करने का सुझाव मिलने पर उन्हें क्रय करने की भी व्यवस्था की जा सकती है। विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि खाली समय पर पत्र–पत्रिकाओं को पढ़कर अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि करते रहें।

महाविद्यालय पत्रिका(College Magazine)

महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका ''कर्णप्रिया'' का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य छात्रों में प्रतिभा का विकास करना है। छात्र–छात्राएं पत्रिका के मौलिक रचना/लेख आदि के प्रकाशन के लिए सम्पादक मण्डल से मार्गदर्शन प्राप्त कर सत्र 2019–20 में छात्रों को चाहिए कि महाविद्यालय पत्रिका में प्रकाशन हेतु एक मौलिक एवं आकर्षक रचना पहले से तैयार रखें।

कैरियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेंट सेल
(Career Counselling and Placement Cell)

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की बौद्धिक प्रतिभा को निखारने, उनमें क्षमता, दक्षता, आत्मविश्वास तथा स्पर्द्धा उत्पन्न करने हेतु एक कैरियर काउन्सलिंग सेल स्थापित की गयी है। उन्हें स्वावलम्बी बनाने, रोजगार परक सूचनाओं से अवगत कराने तथा विविध प्रकार के परामर्श देने हेतु काउन्सलिंग सेल उपयोगी मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।

पूर्व छात्र परिषद
(Alumni Association)

भूतपूर्व छात्रों का महाविद्यालय के विकास हेतु महत्वपूर्ण भागीदारी के उद्देश्य से महाविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद् का गठन किया गया है। एतदर्थ महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि यदि उनके बड़े भाई/बहन/अभिभावक अथवा संबंधी इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हों तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत हों, तो उनकी सूचना महाविद्यालय में गठित पूर्व छात्र परिषद के संयोजक को उपलब्ध करायें जिससे परिषद् की समय–समय पर होने वाली बैठकों मे उन्हें आमंत्रित किया जा सके तथा महाविद्यालय के विकास में उनका योगदान/सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। भूतपूर्व छात्र परिषद् के अध्यक्ष–प्राचार्य होते हैं, सचिव पद पर एक वरिष्ठ प्राध्यापक को प्राचार्य द्वारा मनोनीत किया जाता है तथा उपाध्यक्ष पद पर भूतपूर्व छात्रों में से किसी एक का चुनाव किया जाता है। इसी तरह सदस्यों का चुनाव भी किया जाता है।

अभिभावक-शिक्षा परिषद्
(Parent-Teachers Association)

जिस प्रकार भूतपूर्व छात्र परिषद् में छात्रों के हितार्थ भूतपूर्व विद्यार्थियों को उनकी सहयोगिता तथा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उन्हे महाविद्यालय में बुलाया जाता है। इसी प्रकार महाविद्यालय की सर्वांगीण उन्नति एवं छात्र कल्याण हेतु अभिभावक–शिक्षक परिषद् का गठन किया जाता है। प्राचार्य इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष पद का चुनाव अभिभावकों में से किया जाता है तथा सचिव पद पर किसी एक वरिष्ठ प्राध्यापक को प्राचार्य द्वारा नामित किया जाता है। सदस्यों का चुनाव भी अभिभावकों में से ही किया जाता है।

महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ
(Women’s Harassment Redressel Cell)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्याल में महिला उत्पीड़न निवारण हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलों की देखरेख के अतिरिक्त छात्राओं के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिये प्रशिक्षण एवं समय–समय पर काउन्सलिंग की जाती है।

अनुशासन एवं शास्ता मण्डल
(Discipline and Proctorial Board)

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिये उत्तरदायी है। शास्ता मण्डल का संयोजक मुख्य शास्ता होता है, जिन्हें सहयोग करने हेतु प्रत्येक संकाय से एक–एक शास्ता तथा सहायक शास्ता होते हैं। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक शास्ता मण्डल के पदेन सदस्य होते हैं। शास्ता मण्डल द्वारा समय–समय पर बनाए गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिये बाध्यकारी है। अनुचित आचरण कराने अथवा नियमों का उल्लघन करने पर शास्ता मण्डल संबंधित विद्यार्थी को दंडित कर सकता है। महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी किसी भी दशा में कानून विरुद्ध कार्य न करें और न ही अशान्ति फैलायें, यदि कोई शिकायत हो तो शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दें ताकि मामले की छानबीन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम :

1. प्रत्येक छात्र के पास परिचय–पत्र को होना आवश्यक है जिसे परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है, परिचय–पत्र के खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचय–पत्र मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें।
2. जिन छात्रों की गतिविधियां शास्ता मण्डल/विश्वविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है/उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
3. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जायेगा ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जाएगा।
4. दुराचार एवं उदण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप
(Co-Curricular Activities)

1.छात्रसंघ–सत्र 2016–17 से राजकीय महाविद्यालय के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने पर उनमें छात्रसंघ चुनाव लिंगदोह समिति की संस्तुति के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या–S.L.P.(Civil) No.24295/2004/दिनांक 24/06/2004 जो अपर महाअधिवक्ता भारत सरकार के पत्र संख्या 4240 दिनांक–23/10/2006 द्वारा अधिसूचित एवम् उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश सं0 184/XXIV/2007–3(168)/2001, दिनांक 27/02/2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय पर लागू करने के सम्बन्ध में प्रवेश समिति द्वारा नियमों के आधार पर छात्रसंघ के चुनाव सम्पन्न होंगे।

2.राष्ट्रीय सेवा योजना–''मैं नहीं परन्तु आप'' की भावना पर आधारित रा0से0यो0 के अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी काई गतिविधियां संचालित होती हैं जैसे–शिक्षा एवं मनोरंजन, आपदाओं (तूफान, बाढ़, भूकम्प, सूखा इत्यादि) के लिये कार्यक्रम, पर्यावरण को समृद्ध बनाना तथा उसकी सुरक्षा करना, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण कार्यक्रम, स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम तथा भारत सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम वर्तमान में महाविद्यालय में रा0से0यो0 की तीन इकाई कार्यरत हैं, जिसके तहत 300 विद्यार्थी पंजीकृत होते हैं। इस योजना के अंतर्गत लगातार दो शिक्षण सत्रों में 240 घंटे नियमित कार्य करनार होता है। नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त विशेष शिविर ('ए' प्रमाण–पत्र) एवं एक दिवसीय शिविर भी आयोजित किये जाते हैं। सत्र 2004–05 से वि0वि0 द्वारा रा0से0यो0 'बी' व 'सी' प्रमाण–पत्रों की परीक्षायें भी आयोजित की जाती हैं जिन्हें उत्तीर्ण करने पर विभिन्न विभागों में रोजगार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता/अधिमान प्रदान किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत छात्र/छात्राएं केवल दो शिक्षण सत्रों में पंजीकरण करा सकते हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष में पंजीकरण पूर्ण होने के बाद ही रिक्त स्थानों पर स्नातक प्रथम वर्ष से पंजीकरण किया जायेगा। एन0सी0सी0 में पंजीकृत छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी बनने हेतु अर्ह नहीं हैं। सम्प्रति महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 03 इकाईयां कार्यरत हैं।

3.एन0सी0सी0–महाविद्यालय में एन0सी0सी0 की सीनियर डिवीजन इकाई कार्यरत है जिसमें देश सेवा एवं सुरक्षा का प्रशिक्षण नियमानुसार भारतीय सेना के प्रशिक्षकों द्वारा किया जाता है। इसके अन्तर्गत इच्छुक छात्र–छात्राओं को अर्द्धसैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

4.विभागीय परिषदें–महाविद्यालय के समस्त विभाग अपनी–अपनी विभागीय परिषदों का गठन करते हैं। विभागीय परिषदों में छात्र/छात्राएं विभागीय शैक्षणिक सह–शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के साथ–साथ भ्रमण आदि में प्रतिभाग करते हैं। अन्तर्विभागीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। विजेता प्रतिभागियों को पारितोषिक दिया जाता है।

5.सांस्कृतिक परिषद्– महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं में सन्निहित साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं ललित कलाओं सम्बन्धी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित एवं संवर्द्धित किया जाता है। प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा अन्य उच्च स्तरों पर सम्पन्न होने वाले सांस्कृतिक–साहित्यिक आयोजनों में प्रतिभाग सुनिश्चित कराने हेतु सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जाता है।

6.क्रीड़ा एवं खेलकूद–'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ्य मस्तिष्क का निवास होता है' महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के मानसिक उन्नयन के साथ–साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है जिसके लिए पूरे सत्र के दौरान क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं। योग्य छात्र/छात्राओं का चयन कर विभिन्न अन्तर्ममहाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाता है।

स्थानान्तरण/चरित्र प्रमाण पत्र

1. **अस्थायी/स्थाई चरित्र प्रमाण–पत्र**– अध्ययनरत संस्थागत छात्रों को **अस्थायी चरित्र प्रमाण–पत्र** हेतु आवेदन करने पर मुख्य शास्ता की संस्तुति के पश्चात् दिया जाता है। **स्थायी चरित्र प्रमाण–पत्र स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र के साथ निर्गत किया जाता है, इसकी मूल प्रति को सुरक्षित रखकर फोटो प्रतियां ही आवेदन–पत्रों पर संलग्न की जाती हैं।**

शुल्क रसीद- छात्र/छात्रा को प्रवेश के पश्चात् पूर्ण सत्र तक अपनी शुल्क की रसीद को सुरक्षित रखना चाहिए। परिचय पत्र प्राप्त करते समय एवं परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय शुल्क रसीद की आवश्यकता होती है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्रः- (कोड सं० 17030)

इस महाविद्यालय में सन् 2010–11 से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (यू.ओ.यूं) का अध्ययन केन्द्र भी चल रहा है। इस केन्द्र पर चलने वाले पाठ्यक्रम निम्नवत है।

(1) स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम/प्रारम्भिक पाठ्यक्रम (बी0 पी0 पी0)
(2) कला स्नातक (बी0ए0)
(3) विज्ञान स्नातक (बी0एस–सी0)
(4) वाणिज्य स्नातक (बी0कॉम0)
(5) कला स्नातकोत्तर (एम0ए0)– हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शिक्षाशास्त्र
(6) एम0ए0 लोक प्रशासन
(7) पर्यटन अध्ययन में प्रमाण पत्र (सी0 टी0 एस0)
(8) पर्यटन अध्ययन में डिप्लोमा (डी0 टी0 एस0)
(9) पर्यटन अध्ययन में स्नातक (बी0 टी0 एस0)
(10) भोजन एवं पोषण में प्रमाण पत्र (सी0 एफ0 एन0)
(11) पर्यावरण अध्ययन में प्रमाण पत्र (सी0 ई0 एफ0)

(12) ग्राम्य विकास में प्रमाण–पत्र (डी0 आर0 एस0)
(13) आपदा प्रबन्धन (सी.डी.एम.)
(14) मानवाधिकार में प्रमाण–पत्र (सी.एच.आर.)
(15) विज्ञान स्नातकोत्तर (एम.एससी.)–गणित, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित
(16) पी.जी.डिप्लोमा इन योग
(17) एम0ए0 योगा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु समन्वयक उ0मु0वि0वि0 अध्ययन केन्द्र, रा0 स्ना0 म0वि0 कर्णप्रयाग दूरभाष 01363–244129 से सम्पर्क कर सकते हैं। उ0मु0वि0वि0 में माह जून–जुलाई एवं दिसम्बर–जनवरी में प्रवेश होते हैं। अधिक जानकारी के लिएउत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की बैबसाइटwww.uou.ac.in पर देख सकते हैं।

राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान

''राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान'' के अन्तर्गत महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता बनाये रखने हेतु सप्ताह में एक दिन कक्षावार प्रत्येक छात्र/छात्रा, प्राध्यापक एवं कर्मचारी स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग करेंगे। परिणामस्वरूप, महाविद्यालय परिसर स्वच्छ बना रहेगा और इनके आस–पास के क्षेत्र भी साफ–सुथरे रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी की यह जिम्मेदारी भी होगी कि कूड़ा करकट केवल महाविद्यालय में रखे प्लास्टिक के कूड़ेदान में ही डालें अन्यत्र नहीं फेंके तथा तम्बाकू, गुटका, खैनी तथा इनसे संबंधित अन्य वस्तुओं का सेवन न करें, ताकि महाविद्यालय का पर्यावरण प्रदषित होने से बच सके। यदि कोई व्यक्ति परिसर या इसके आस–पास गंदगी एवं प्रदूषण फैलाते हुए पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत नदी–नालों ंएवं आस–पास के परिवेश को स्वच्छ रखा जाना है। इसमें शिक्षक/कर्मचारी/विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका सामान्यतः तथा एन0एस0एस0, एन0सी0सी0 के स्वयं सेवकों की सक्रिय भूमिका विशेष रूप में निर्धारित की गई है।

ड्रेसकोड

महाविद्यालय में सत्र 2017–18 से ड्रेसकोड अनिवार्यरूप से लागू किया गया है। अतः समस्त शिक्षार्थियों को प्रतिदिन महाविद्यालय में लागू ड्रेसकोड में उपस्थित होना अनिवार्य है। विना ड्रेसकोड के महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का प्रवेश वर्जित है।

महाविद्यालय परिवार
''डॉ0 जगदीश प्रसाद'' (प्राचार्य)
(प्राध्यापक वर्ग)

(A) कला संकाय	(B) विज्ञान संकाय
अर्थशास्त्र विभाग :-	**वनस्पति विज्ञानविभाग :-**
1–डॉ0 भारती सिंघल (प्रोफेसर एवं विभाग प्रभारी)	1– श्री सत्यराज सिंह (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)
2–श्री भरत लाल (असि0प्रो0)	2– डॉ0 विश्वपति भट्ट (असि0प्रो0)
2–डॉ0 शालिनी सैनी	3– डॉ0 इन्द्रेश कुमार पाण्डेय (असि0प्रो0)
हिन्दी विभाग :-	**जन्तु विज्ञानविभाग :-**
1– डॉ0 राधा रावत(असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	1–डॉ0 दिगम्बर सिंह राणा
2– श्री रविन्द्र सिंह (असि0प्रो0)	2–डॉ0 मनीषा सारस्वत
3– डॉ0 चन्द्र मोहन जनस्वॉण (असि0प्रो0)	3–डॉ0 भगवती डांगी
भूगोल विभाग :-	**रसायन विज्ञान विभाग :-**
1– डॉ0 तौफीक अहमद असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	1– डॉ0 योगेश चन्द्र नैनवाल (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)
2–डॉ0 रमेश चन्द्र भट्ट (असि0प्रो0)	2– डॉ0 कमलेश चन्द्र लोहानी (असि0प्रो0)
3–डॉ0 नेहा तिवारी पाण्डेय (असि0प्रो0)	3– डॉ0 सुशील चन्द्र सती
4–श्री नरेन्द्र पंघाल (असि0प्रो0)	
संस्कृत विभाग :-	**भौतक विज्ञान विभाग :-**
1– डॉ0 चन्द्रावती टम्टा (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	1–डॉ0 मानबीरेन्द्र सिंह कण्डारी(असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)
2–श्री हरीश बहुगुणा (असि0प्रो0)	2– श्री कमल किशोर द्विवेदी (असि0प्रो0)
3–श्री मृगांक मलासी (असि0प्रो0)	3–श्री जितेन्द्र सिंह
अंग्रेजी विभाग :-	**गणित विभाग :-**
1– डॉ0 दिशा शर्मा	1– डॉ0 रूपेश कुमार श्रीवास्तव (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)
2– डॉ0 सीमा पोखरियाल	2– डॉ0 शीतल देशवाल (असि0प्रो0)
3– डॉ0 पंकज यादव	2– श्री गोपी प्रसाद पंत
राजनीति विज्ञानविभाग :-	**(C)वाणिज्य संकाय**
1– डॉ0 कविता पाठक (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	1– डॉ0 हरीश चन्द्र रतूड़ी (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)
2– डॉ0 मदन लाल शर्मा (असि0प्रो0)	2– डॉ0 रविन्द्र कुमार(असि0प्रो0)
3– श्री कीर्तिराम डंगवाल (असि0प्रो0)	3– हिना नौटियाल (असि0प्रो0)
इतिहासविभाग :-	4– श्री विजय कुमार (असि0प्रो0)
1– श्रीमती पूनम (असि0प्रो0 एवं विभाग प्रभारी)	5– श्री नेतराम (असि0प्रो0)
2– श्रीमती स्वाति सुन्दरियाल (असि0प्रो0)	6– श्री दीप सिंह (असि0प्रो0)
3– डॉ0 वेणीराम अन्थवाल	

महाविद्यालय परिवार
(कर्मचारी वर्ग)

कार्यालय		रसायन विज्ञान	
1– श्रीमती मीना रियाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1–श्री संजय सिंह	प्रयोगशाला सहायक
2– श्री सोहन लाल मुनियाल	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	2–श्री पवन सिंह	प्रयोगशाला सहायक
3– श्री भरत सिंह रावत	प्रशासनिक अधिकारी	3–श्री रामकृष्ण पुरोहित	अनुसेवक सम्बद्ध (प्राचार्य–अर्दली)
4– श्री जगदीश सिंह रावत	क0स0	4–श्री अनूप सिंह कण्डारी	अनुसेवक
5– श्री जयन्ती प्रसाद सती	अनुसेवक	5–श्री बद्रीश कुमार	अनुसेवक
6– श्रीमती रूकमणी सेमवाल	अनुसेविका	**जन्तु विज्ञान**	
7– श्री श्रीमती आरती देवी	अनुसेविका	1–श्री उमेश चन्द्र पुरोहित	प्रयोगशाला सहायक
8– श्री विपिन सिंह	अनुसेवक	2–पद रिक्त– 01	प्रयोगशाला सहायक
9– श्री गब्बर सिंह	अनुसेवक (चौकीदार)	3–श्री संजीव कुमार	अनुसेवक
10– श्री विशाल कुमार	सफाईकार	4–श्री गिरीश चन्द्र	अनुसेवक
पुस्तकालय/ वाचनालय		**वनस्पति विज्ञान**	
1– श्री रविन्द्र कुमार	पुस्तकालय लिपिक	1–श्री मनोज देवराड़ी	प्रयोगशाला सहायक
		2–पद रिक्त– 01	प्रयोगशाला सहायक
भूगोल		3–श्री नफीस अहमद	अनुसेवक
1– श्री शुभम रावत	अनुसेवक	4–श्री हरपाल सिंह	अनुसेवक
भौतिक विज्ञान			
1–श्री शेर सिंह	प्रयोगशाला सहायक	2–पद रिक्त– 01	प्रयोगशाला सहायक
3–श्री हरेन्द्र सिंह	अनुसेवक	4–श्री सुरेन्द्र सिंह	अनुसेवक

शपथ पत्र का प्रारूप(केवल छात्र/छात्रा द्वारा भरा जायेगा)

महाविद्यालय में रैगिंग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। छात्र–छात्राओं को प्रवेश के समय यू0जी0सी0 वेबसाइट से इस आशय का शपथ पत्र ऑनलाईन भरकर महाविद्यालय में जमा करनाहोगा।*विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एन्टी रैगिंग शपथ पत्र हेतु*www.amanmovement.org *लॉगऑन करें तथा समस्त प्रविष्टियां ऑनलाइन पूर्ण करने के पश्चात उपलब्ध फार्म को प्रिंट करके अपने तथा अपने अभिभावक के अलग–अलग फार्म पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त ऑनलाईन प्रवेश आवेदन पत्र की हार्ड प्रति पर संलग्न कर शपथ पत्र को जमा करें।*